



2026:AHC:45517-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 60858/2012

देवेन्द्र कुमार एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव एवं अन्य के माध्यम से

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : डी. एन. यादव, उमेश कुमार दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जगदीश पाठक (राज्य सरकार के अधिवक्ता), रामराज पांडेय

मुख्य न्यायाधीश पीठ

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंडाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका 'इस उच्च न्यायालय में अत्यधिक पुराने लंबित मामलों, प्राथमिकता सुनवाई हेतु' की श्रेणी में सूचीबद्ध है।

2. यह याचिका वर्ष 2012 में प्रतिवादी संख्या 6 से 10 द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए दायर की गई थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. प्रतिवादी संख्या 6 से 10 को नोटिस जारी किए गए थे, किंतु उनका तामिला नहीं हुआ है।

तथापि, 14 वर्षों की अवधि में, स्पष्टतः इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

4. आज भी, याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि समय बीत जाने के कारण, याचिकाकर्ताओं ने इस याचिका में रुचि खो दी है।

6. अतः, यह याचिका अभियोजन के अभाव के आधार पर **खारिज** की जाती है।

27 फरवरी, 2026

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली) (न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”